73

- (ग) इन समितियों का स्वकृष क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा प्राचीण शिक्षा समितियों हेतु केन्द्रीय बजट में से कितनी वित्तीय सहायता राशि का प्रायधान किया जा रहा है: और
- (ङ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु क्या अन्य नए प्रबंध किये जाने का प्रस्ताय है?

मानक संसाधन विकास पंत्रालय के शिक्षा विधाग में राज्य मंत्री (श्री सुद्धी राम सैकिका):

(क) से (ङ) 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा उन विषयों में एक है जिसे पंचायती राज निकायों को अन्तरित किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों को ग्राम स्तर की शिक्षा की विकेन्द्रीकृत आयोजना और प्रबंधन को सुकर बनाने वाले मुख्य कारक के रूप में परिकल्पना की गई है। झलांकि ग्राम शिक्षा समितियों की वास्तविक संरचना राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न है फिर भी ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना इस रूप में की गई है कि इसमें पंचायतों के चुने हुए पदाधिकारियों, ग्राम प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक, अभिभावकों तथा कमजोर वर्गों के प्रतिनिधिकों सहित विस्तृत आधार पर प्रतिनिधिका हो।

हालांकि केन्द्रीय कड़ट में ग्राम शिक्षा समितियों के लिए कोई विशिष्ट धनराशि अलग से नहीं रखी गई है, तथापि किस अपोग हारा निधि संबंधी राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। 1995-96 के दौरान सरकार हारा प्राथमिक शिक्षा के लिए फोक्स सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक शुरू की गई एक प्रमुख पहल को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि 1996-97 में अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके।

राजीय गांधी जैक्षिक मिलन

1947. श्री जगजाब सिंह: क्य भानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या राजीव गांधी शैक्षिक मिशन (राजीव गांधी एजुकेशनल मिशन) एक सरकारी योजना है; और
 - (क) यदि हां, तो तत्संबंधी स्वीस क्या है?

भानव संसाधन विकास मंत्रात्तव के शिक्षा विकास में राज्य मंत्री (श्री सुद्धी राव सैकिया): (क) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश सरकार के शालेय शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक राज्य स्तरीय समायत सोसाइटी है।

- (ख) यह मिशन निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत हैं:---
- मध्य प्रदेश में 15-35 के आयुक्रण में लोगों के लिए साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- 2. 6—14 वर्षे के अयुवर्ग में बच्चों के लिए प्रथमिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन मध्य प्रदेश राज्य में बाहरी सहाबता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक शिक्षा संबंधी एक नई पहल का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके पुख्य संघटक हैं—

नए शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों का निर्माण, नए विद्यालयों को खोलना, विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, वैकल्पिक विद्यालयों/गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलना, प्राथमिक पूर्व विद्यालयों, आश्रम शालाओं को खोलना, प्राथमिक पूर्व विद्यालयों, आश्रम शालाओं को खोलना, प्राव्यवर्था संशोधन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिचद को सुदृढ़ करना, प्रखण्ड संसाधन तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, प्रखण्ड संसाधन तथा सामृक्षिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, इत्यदि।

Conversion of catchment areas into reserve forest

1948. SHRI ONWARD L. NONGTDU. Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that the catchment areas in the North-Eastern Region are being destroyed by Jhumming; and
- (b) if so, whether Government propose to acquire and convert those areas into reserve forest; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (Capt. JAI NARAIN PRASAD N1SHAD): (a) Yes, Sir. According to State of Forests Report, 1993 there is a loss of 635 sq. km. forests/tree cover in North-Eastern Region, over the last assessment. Out of

75

hich loss of 387 sq. km. is due to iumming.

(b) Central Government have no oposal to acquire and convert these eas into reserved forests, as the power

constitute reserved forests lies with the ate Governments. However, Central overnment have taken following easures for protection and development

forests in North-Eastern Regions:

- State Governments have been requested to consider for putting a ban on felling of green trees above 1000 metres altitude.
 - (ii) Central Government provides
 financial assistance to States for
 development of forests, directly as
 well as through North-Eastem
 Council.
- (iii) A regional office of the Ministry has been set up at Shillong to monitor cases under Forest (Conservation) Act, 1980 and Environment Protection Act, 1986, as well as to improve coordination between Central and State Governments.

Direct train from Bhavnagar to Delhi

1949. SHRIMATI URMILA-BEN CHIMANBHA1 PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is no direct train from Bhavnagar to Delhi:
- (b) whether Government have considered the demand of the people of this area for a direct train made in the past; and
- (c) if so, the action taken in this regard so far and by when a direct train is likely to be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) Thre is no direct train

available between Bhavnagar and Delhi. However, one II sleeper class (GSCN) has been introduced between Bhavnagar and Delhi by 29/9923/9902-9901/9924/30 w.e.f. 10.5.95.

At present, there is no proposal to introduce a direct train between Bhavnagar and Delhi.

यक और शाहगंज के मध्य गेज परिवर्तन

1950. श्री मोहम्पद मसूद खानः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सन्ध है कि भक्त और शाहफंज के बीच गेज परिवर्तन का कार्य धन की कमी के कारण प्रगति नहीं कर सका है;
 - (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्यौरा क्या है;
- (ग) इस कार्य के लिए कितनी भनग्रिश जांग्रे की गई है और इस कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;
 और
- (घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस संबन्ध में क्यीरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी सतपाल प्रहाराज): (क) जी नहीं, कार्य सुम्बरू रूप से चल रहा है;

- (ख) प्रभ नहीं उठता:
- (ग) परियोजना की अनुमानित लागत 43.38 करोड़ रू॰ है जिसमें से 31.3.96 तक 17 करोड़ रू॰ खर्च हो गए हैं। इस कार्य के लिए बजट 96-97 में 27 करोड़ रू॰ की राशि आवंटित की गई है;
- (घ) इस कार्य की जून, 96 तक हुई प्रगति 70% है। इस कार्य के लिए धन एवं सामित्रयां उपलब्ध करा दी गई है और यह कार्य 30 नवंबर, 1996 तक पूर्ध से जाएगा;